

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में नलकूपों के विशेष अनुरक्षण (मरम्मत) हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से वित्तीय अनुदान की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1926/प्र030/बी-1(सामान्य) दिनांक 22 मई, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रीष्म काल में पानी की अत्यधिक आवश्यकता होने तथा आवश्यकता के अनुरूप सिंचाई एवं पेयजल की पूर्ति सम्भव न हो पाने के दृष्टिगत राज्य में अधिष्ठापित नलकूपों जो वर्तमान में बन्द/जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, के विशेष अनुरक्षण (मरम्मत) कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 200.00 लाख (रु0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार राज्य आकस्मिकता निधि से अनुदान के रूप में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रु0 लाख में)

मानक मद	राज्य आकस्मिकता निधि से अनुदान के रूप में आवंटित धनराशि
अनुदान संख्या-20 लेखाशीर्षक- 2702- लघु सिंचाई 03- रखरखाव कार्य 103- नलकूप 03- अनुरक्षण	200.00 लाख (रु0 दो करोड़ मात्र)

- 2- अवमुक्त की जा रहीं धनराशि का आहरण/व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है।
- 3- उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद में व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।
- 4- राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित की जा रही धनराशि के प्रतिदान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुपूरक बजट के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक में धनराशि की आवश्यक व्यवस्था ससमय करायी जायेगी।
- 5- इस सम्बंध में होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक 8000-आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि लेखा-201 समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या 20- के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2702-लघु सिंचाई-03-रखरखाव-103-नलकूप-03-अनुरक्षण-29 अनुरक्षण मद के नामे डाला जायेगा।

- 6— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 291/XXVII(2)/2017, दिनांक 17 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
१८/८/२०१८
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

पृष्ठसंख्या— ६४/XXVII(1)/राइजनो/2017 दिनांक १७ जुलाई, 2018

प्रतिलिपि प्रधान लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अमित नेगी)
सचिव (वित्त)

पृष्ठसंख्या— ६४/११२—२०१८—०५/०६/२०१८ तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी-१/१०५, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, मारो सिंचाई मंत्री जी को मारो मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, /कुमाऊ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-२, उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
१८/८/२०१८
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।